

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 178/2018

दायरा दिनांक : 19.10.2011

**उनवान**

- 1- श्याम लाल पुत्र बृजमोहन
- 2- मितेश कुमार पुत्र श्यामलाल
- 3- साक्षी पुत्री श्याम लाल

जाति ब्राह्मण निवासीगण ओझा मेटल के पास अटरू रोड बारां  
जिला बारां राज.

.... अपीलांट

**बनाम**

- 1- अंश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा उम्र 4 वर्ष नाबालिग जरिये वली संरक्षिका माता श्रीमती अनुराधा पत्नि स्व. मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी गुरुजी का चौक तालाब पाडा बारां जिला बारां राज.
- 2- रामलाल पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी लंका कॉलोनी बारां
- 3- नंदकिशोर पुत्र गुडकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी लंका कॉलोनी बारां
- 4- मदनगोपाल पुत्र भवानी शंकर जाति ब्राह्मण निवासी रामनगर सामुदायिक भवन के पीछे तेल फैक्ट्री बारां
- 5- प्रहलाद पुत्र गुडकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चरीघाट रोड बारां
- 6- अशोक कुमार पुत्र जमनालाल जाति ब्राह्मण नि. बराना बारां
- 7- मांगीलाल पुत्र जमनालाल
- 8- जगदीश पुत्र जमनालाल
- 9- गोपाल पुत्र जमनालाल
- 10- राजेन्द्र पुत्र जमनालाल

जाति ब्राह्मण निवासीगण सांकली तहसील व जिला बारां

- 11— श्रीमती गीताबाई बेवा जमनालाल जाति ब्राह्मण नि.सांकली बारां
- 12— लाडबाई पुत्री जमनालाल पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी  
डंडोवियां की बडी तेल फैक्ट्री तहसील बारां जिला बारां
- 13— चन्द्रप्रकाश पुत्र सूरजमल
- 14— ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल
- 15— जगदीश पुत्र सूरजमल
- 16— महेश पुत्र सूरजमल
- 17— चन्द्र शेखर पुत्र सूरजमल  
जातिगण ब्राह्मण निवासीगण जवाहरनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी  
झालावाड रोड बारां राज.
- 18— श्रीमती शारदा बेवा सूरजमल (मृतक)
- 19— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां
- 20— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां
- 21— श्रीमती दया कुमारी पुत्री सूरजमल पत्नि गोरीशंकर जाति ब्राह्मण  
निवासी शर्मा पान भंडार गायत्री चौराहा सांगोद तह. सांगोद जिला  
कोटा राज.

.... रेस्पोंडेंट

उपस्थित — श्री अभिभाषक बी.एल. जैन अपीलांट की ओर से  
श्री अभिभाषक हरिओम चतुर्वेदी रेस्पोंडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31-12-2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 11/2010 निर्णय व डिक्री  
दिनांक 29-09-2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय के निर्धारण करने के लिए 4 तनकीयात कायम किये, जिसमें तनकी नं. 3 आया श्यामलाल प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नी जीवित है एवं वे इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। क्योंकि पौत्र द्वारा अपने दादा से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा जा रहा है तो पत्नी को भी अपना हिस्सा तय करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं करके तनकी नं. 3 का निर्धारण गलत रूप से किया है। अतः उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-09-2011 को निरस्त फरमाया जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अंतिम डिक्री पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। श्याम लाल की पत्नी जीवित है एवं उसका हिस्सा तय हुए बिना उपरोक्त दावा तय नहीं किया जा सकता। उपरोक्त बटवारे में रेवेन्यू बोर्ड के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल का निर्णय 2008 पृष्ठ 393 RBJ 15 – 2008 अपने तथ्यों की पुष्टि में नजीर पेश की गई है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार विधवा को मृतक के वारिसों में बराबर का उत्तराधिकारी माना गया है, एवं एक अन्य नजीर RRT 2016-17 (पूरक) पृष्ठ 711 प्रस्तुत की है जिसमें राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की अंतिम डिक्री के दौरान पालना नहीं होने से एवं दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं होने से तैयार किया गया विभाजन अस्वीकार किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने कथन किया कि पत्नी का पति के जीवनकाल में कोई हिस्सा नहीं होता है। उपरोक्त दावे पर प्राथमिक डिक्री जारी होने पर वकील अपीलांट द्वारा नोटप्रेस कर दिया गया था अंतिम डिक्री जारी होने के समय कई बार सूचना देने के बावजूद भी वकील अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, दस्वोवेजी साक्ष्यों एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 4 तनकीयात कायम की गई। तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित की गई जिसमें वादी का अपने दादाजी के आराजी में पैतृक हक निहित होने से उनका हिस्सा तय किया गया, जो उचित है। तनकी नं. 3 रेस्पोंडेंट के विरुद्ध तय की गई, चूंकि रेस्पोंडेंट श्यामलाल जीवित है एवं पति के जीवनकाल तक पत्नी को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा जो नजीर RBJ 15 2008 पेश की गई है, वह लागू नहीं होती है क्योंकि वह विधवा के हक व अधिकारों को निर्णित करती है। तनकी नं. 4 का निस्तारण भी उचित प्रकार से किया गया है। चूंकि रेस्पोंडेंट का उपरोक्त दावे में हक एवं अधिकार जन्मकाल से ही निहित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक है एवं इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया है जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-09-2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31-12-2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)  
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा